

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1398]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2014/आषाढ़ 11, 1936

No. 1398]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2014/ASHADHA 11, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2014

का.आ. 1668(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं का.आ. **880 (अ)** तारीख 19.03.2014, जो भारत के राजपत्र तारीख 24.03.2014 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड द्वारा त्रिपुरा राज्य में **सूनामुरा जीसीएस से मोनारचक (नीप्को पावर प्लांट)** पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 05.04.2014 से उपलब्ध करा दी गई थीं।

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार का, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

मौजा : शोभापुर

उप-संभाग: सोनामुरा

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि पी.एम.पी. अधिनियम, 1962 की धारा 3(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है

अतिरिक्त भूमि की अनुसूची :

क्र. सं.	जिला	उप-संभाग	मौजा	खसरा सं	प्लॉट सं	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	सिपाहीजला	सोनामुरा	शोभापुर	2539	3443/7625/p	लुंगा	0.10
2				1142	4850/p	नाल	0.11
3				411	132/p	नाल	0.01
4				523	121/7286/p	नाल	0.05
5				740	4835/p	नाल	0.03
6				1/1	107/p	नाल	0.08
7				1088	1201/1379/p	नाल	0.02
8				833	3438/p	नाल	0.08
9				523	121/p	चारा	0.19
10				913	105/p	नाल	0.01
11				311/2	3329/p	नाल	0.02
12				2599	3443/7225/p	नाल	0.07
कुल							0.77

मौजा : आझालिया

उप-संभाग: सोनामुरा

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि पी.एम.पी. अधिनियम, 1962 की धारा 3(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

अतिरिक्त भूमि की अनुसूची :

क्र. सं.	जिला	उप-संभाग	मौजा	खसरा सं	प्लॉट सं	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	सिपाहीजला	सोनामुरा	आझालिया	372	2646/p	नाल	0.03
2				372	2646/p	नाल	0.03
3				372	2645/p	नाल	0.15
4				372	2645/p	नाल	0.11
5				182	2073	नाल	0.05
6				889	2076/p	नाल	0.04
7				175/1	2264/p	टिला	0.07
8				1076	2071/p	पुकुर	0.10
9				163	2081/p	बागान / टिला	0.12

10				81	2077/p	चारा/ टिला	0.10
11				372	2656/p	नाल	0.03
कुल							0.83

[फा. संख्या ओ- 12026/05/2014-ओ. एन. जी.-III]

के.एम. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th June, 2014

S.O. 1668(E).— Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number **S.O. 880(E), dated 19.03.2014** issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the Land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through **Sonamura to Monarchak (NEEPCO Power Plant)** in the State of Tripura, ONGC Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public from 05.04.2014.

And whereas the objections received from the public have been considered and disallowed by the competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India.

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline with the land schedule annexed hereto.

And, further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 6 of said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of publication of the declaration, in the ONGC Limited, subject to the terms and conditions so imposed, free from all encumbrances.

SCHEDULE**Mouza : Sovapur****Sub-Division : Sonamura****The following Schedule of Additional Plots & Area have been included / increased after Publication u/s 3(1) of PMP Act 1962****Schedule of Additional Land :**

Sl. No.	District	Sub Division	Mouja	Khatian No.	Plot No.	Class of land	Area in acre
1	Sipahijala	Sonamura	Sovapur	2539	3443/7625/p	Lunga	0.10
2				1142	4850/p	Nal	0.11
3				411	132/p	Nal	0.01
4				523	121/7286/p	Nal	0.05
5				740	4835/p	Nal	0.03
6				1/1	107/p	Nal	0.08
7				1088	1201/1379/p	Nal	0.02
8				833	3438/p	Nal	0.08
9				523	121/p	Chara	0.19
10				913	105/p	Nal	0.01
11				311/2	3329/p	Nal	0.02
12				2599	3443/7225/p	Nal	0.07
Total							0.77

Mouza: Aralia**Sub- Division : Sonamura****The following Schedule of Additional Plots & Area have been included / increased after Publication u/s 3(1) of PMP Act, 1962****Schedule of Additional Land :**

Sl. No.	District	Sub Division	Mouja	Khatian No.	Plot No.	Class of land	Area in acre
1	Sipahijala	Sonamura	Aralia	372	2646/p	Nal	0.03
2				372	2646/p	Nal	0.03
3				372	2645/p	Nal	0.15
4				372	2645/p	Nal	0.11
5				182	2073	Nal	0.05
6				889	2076/p	Nal	0.04
7				175/1	2264/p	Tilla	0.07
8				1076	2071/p	Pond	0.10
9				163	2081/p	Bagan / Tilla	0.12
10				81	2077/p	Chara/ Tilla	0.10
11				372	2656/p	Nal	0.03
Total							0.83

[F. No. O-12026/05/2014/ONG-III]

K.M. SINGH, Under Secy.